भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3266

20 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

3266. श्री अनिल यशवंत देसाईः

संपत्ति अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को बेहतर प्रबंधन के लिए तथा स्वामित्व के संबंध में कानूनी विवादों से बचने के लिए भूमि एवं संपत्ति अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्यवार क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजस्व प्राधिकरणों, एसडीएम और रजिस्ट्रार कार्यालयों में पंजीकृत मकान और भूमि जैसी सभी भावी अचल संपत्तियों को अद्यतन किया जा रहा है और भविष्य में हस्तांतरण के दौरान जालसाजी और धोखाधड़ी की किसी भी संभावना को समाप्त करने के लिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) भारत सरकार देश में भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और कम्प्यूटरीकरण के लिए 2016-17 से केंद्र सरकार के 100% वित्तपोषण के साथ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के नाम से एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। डीआईएलआरएमपी को 01.04.2021 से 31.03.2026 तक पांच साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। अब तक, देश में मौजूदा भूमि रिकॉर्ड (अधिकारों के रिकॉर्ड) का 99.78% डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ क्षेत्रों में सामुदायिक स्वामित्व के मुद्दों के कारण अन्य राज्यों की तरह भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटलीकरण शुरू कर दिया है। अब तक मुख्य रूप से

ग्रामीण क्षेत्र को डीआईएलआरएमपी के तहत कवर किया गया है। राज्य-वार प्रगति अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने के लिए, शहरी बस्तियों हेतु राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण (नक्शा) नामक पहल को शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड को तैयार करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग हवाई सर्वेक्षण और फीचर निष्कर्षण कार्य के लिए तकनीकी साझेदार के रूप में हैं जिसका बाद में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जमीनी स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। नक्शा पायलट चरण 26 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के 152 शहरों/शहरी स्थानीय निकायों में 193.81 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। पायलट चरण के पूरा होने और परिणाम आने के बाद इस कार्यक्रम को पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वित करने की परिकल्पना की गई है, बशर्ते कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय हो और तकनीकी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो।

(ग) डी.आई.एल.आर.एम.पी. के अंतर्गत सभी राज्यों में डीड की ऑनलाइन प्रविष्टि, ऑनलाइन मूल्यांकन, ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग, ऑनलाइन प्रवेश, दस्तावेज़ खोज और प्रमाणित प्रतिलिपि बनाने के प्रावधान के साथ कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और इसे 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप, असम, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब और त्रिपुरा) द्वारा अपनाया गया है। अब तक, 14 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (अर्थात आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु) ने एपीआई/यूआई के माध्यम से एनजीडीआरएस के राष्ट्रीय पोर्टल-www.ngdrs.gov.in पर पंजीकरण संबंधी डेटा साझा करना शुरू कर दिया है।

अनुलग्नक

20.03.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3266 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में अनुलग्नक

भूमि रिकॉर्ड के कम्प्यूटरीकरण की राज्य-वार प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरओआर की संख्या			गांवों की संख्या जहां सीएलआर कार्य पूरा हो गया है		
		कुल	कंप्यूटरीकृत	%	कुल गांव	सं.	%
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	89,747	89,747	100.00	205	205	100.00
2	आंध्र प्रदेश	3,31,95,854	3,31,95,854	100.00	16,816	16,816	100.00
3	अरुणाचल प्रदेश	46	0	0.0	81	0	0.0
4	असम	43,57,936	41,38,417	94.96	22,543	19,868	88.13
5	बिहार	4,34,68,047	4,34,68,047	100.00	45,858	45,857	100.00
6	चंडीगढ़	25	25	100.00	25	25	100.00
7	छत्तीसगढ	2,38,33,340	2,37,78,896	99.77	20,474	20,067	98.01
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	74,061	74,061	100.00	72	72	100.00
9	दिल्ली	12,791	11,388	89.03	198	42	21.21
10	गोवा	7,52,798	7,52,798	100.00	421	421	100.00
11	गुजरात	1,23,23,917	1,23,23,917	100.00	18,464	18,464	100.00
12	हरियाणा	36,14,314	36,14,314	100.00	7,102	7,102	100.00
13	हिमाचल प्रदेश	22,10,677	22,10,677	100.00	21,637	21,637	100.00
14	जम्मू और कश्मीर	6,850	6,796	99.21	6,850	4,832	70.54
15	झारखंड	27,31,472	26,98,027	98.78	32,860	32,648	99.35
16	कर्नाटक	1,93,23,831	1,93,23,831	100.00	30,110	30,110	100.00
17	केरल	2,72,36,450	2,72,36,450	100.00	1,666	1,666	100.00
18	लद्दाख	249	71	28.51	248	71	28.63
19	लक्षद्वीप	72,425	72,425	100.00	10	10	100.00
20	मध्य प्रदेश	5,27,75,680	5,27,75,680	100.00	56,952	56,742	99.63
21	महाराष्ट्र	2,62,74,755	2,62,74,755	100.00	44,534	44,534	100.00
22	मणिपुर	605	513	84.79	605	513	84.79
23	मेघालय	0	0	0.0	6,932	0	0.0

24	मिजोरम	3,31,160	3,31,160	100.00	640	640	100.00
25	नागालैंड	23,311	0	0.0	937	0	0.0
26	ओडिशा	1,96,34,329	1,95,98,162	99.82	51,796	51,734	99.88
27	पुदुचेरी	2,57,939	2,57,939	100.00	129	129	100.00
28	पंजाब	5,66,967	5,61,396	99.02	13,005	12,956	99.62
29	राजस्थान	1,24,70,859	1,22,62,533	98.33	49,551	48,310	97.50
30	सिक्किम	1,85,329	1,71,848	92.73	421	405	96.20
31	तमिलनाडु	2,31,25,300	2,31,25,300	100.00	17,301	17,301	100.00
32	तेलंगाना	75,24,615	72,96,575	96.97	10,947	8,534	77.96
33	त्रिपुरा	13,25,145	13,25,145	100.00	897	897	100.00
34	उत्तराखंड	15,25,474	15,25,474	100.00	16,691	16,562	99.23
35	उत्तर प्रदेश	1,10,326	1,10,326	100.00	1,08,910	1,08,899	99.99
36	पश्चिम बंगाल	5,70,93,332	5,70,93,332	100.00	42,310	42,183	99.70
	कुल योग	37,65,29,956	37,57,05,879	99.78	6,48,198	6,30,252	97.23

स्रोत: भूमि संसाधन विभाग